NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Prabhat Khabar, Jamshedpur, 06/01/2026

Page No: 2, Size: 9.87cm × 10.45cm

अर्जुन मुंडा ने एनएचआरसी को लिखा पत्र जीत महतो की मौत पर उठाये सवाल

जमशेदपुर. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अजीत महतो की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखा है. उन्होंने इस मामले में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि मानगो के गोकुल नगर बस्ती निवासी अजीत महतो की 30 दिसंबर 2025 को पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई, जो प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है. अर्जुन मुंडा ने इसे स्थापित मानवाधिकार मानकों के खिलाफ बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के केवल अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) का मामला दर्ज किया गया और मृतक के परिजनों से सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराकर दो लाख रुपये की राशि दे दी गयी, जबकि इस मुआवजे का कोई स्पष्ट वैधानिक आधार या प्रक्रिया नहीं बतायी गयी. इससे पूरे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं. पत्र में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद लगभग दो दिनों तक परिजनों को अजीत महतो से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे पुलिस यातना के कारण मौत की आशंका जतायी गयी है.

Source: https://indianexpress.com/article/cities/pune/mnc-ex-employee-termination-cancer-treatment-complains-labour-commissioner-10456432/

MNC ex-employee alleges termination during cancer treatment, complains to Pune labour commissioner

The labour officer in Pune said that SLB (Schlumberger) would submit a written reply during a hearing on its former employee's complaint on Wednesday.

Written by Soham Shah

Pune | January 5, 2026 03:38 PM IST

2 min read

A former employee at a multinational company has alleged wrongful termination while undergoing active treatment for thyroid cancer in Pune. Santosh Patole, who worked as a facilities manager at SLB (Schlumberger) and had been with the company for over eight years, alleges that he was terminated in July 2025, shortly after returning to work following his treatment.

Patole filed a complaint with the labour commissioner's office in Pune, and the first hearing in the case was held on December 24, 2025.

Kasturi Mahatme, Government Labour Officer, told The Indian Express that the second hearing would take place on January 7, Wednesday, where the company will submit a written reply.

According to Patole, he was diagnosed with thyroid cancer in May 2025 and underwent treatment at Jupiter Hospital in Baner. He rejoined work on July 1, and a "fit to resume work" certificate from the hospital was submitted to his employer a few days later.

Patole alleges that he was served a termination notice on July 23 without any prior notice or performance-related discussions. He says that till his last working day, no warning letter or showcause notice was issued. Nor was any disciplinary action ever initiated against him, he adds. The termination notice cited reasons like "financial loss", which Patole says are untrue. He also says he received "outstanding" ratings in annual appraisals in 2023, 2024, and 2025.

Patole had complained to the National Human Rights Commission and sat on a hunger strike outside the company's office in December 2025. He said, "I hold an HSE Level 3 certification and have worked in corporate risk enablement roles. This background enabled me to objectively identify compliance and risk gaps in how my termination was handled, and therefore, I approached statutory institutions in a structured and lawful manner."

In his complaint to the labour commissioner, Patole has sought that an inquiry be initiated into his termination and explanation as well as records be demanded from SLB regarding its actions. He also sought reinstatement or corrective action and/or compensation for wrongful termination during medical treatment.

Source: https://www.bhaskarenglish.in/local/rajasthan/news/human-rights-commission-issues-notice-to-collector-on-rajasthan-panchs-smartphone-ban-for-women-136865830.html

Human Rights Commission issues notice to Jalore Collector:Rajasthan Panchs ban smartphones for women, terming it gender discrimination; report required in 14 days

Jalore 5 hours ago
In Jalore, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to Collector Pradeep Gavande after panchayats in 15 villages banned smartphone use for daughters-in-law and daughters.
The NHRC said the rule targets only women, calling it gender discrimination. It ordered the administration to investigate the matter and take necessary action within 14 days.
Collector Pradeep Gavande said the panchayat members have withdrawn their decision, but the investigation will continue, and a report will be submitted to the NHRC.
Order came on December 21
On Sunday, December 21, a meeting was held in Ghazipur village of Chaudhary Samaj Sundhamata Patti in Jalore district. This decision was taken under the chairmanship of Sujanaram Chaudhary, president of 14 Patti.
In this, daughters-in-law and daughters of 15 villages were banned from using camera phones from January 26. Not only this, carrying phones to public functions and even to neighbors' houses was banned. They were ordered to use keypad phones instead of smartphones.
The decision was also withdrawn after protests
After this, protests against this decision of the panchayat had started. Upon protest, community president Sujanaram Chaudhary clarified that this decision was taken because children use mobile phones when women have them. This poses a risk of damaging eyesight. It was also withdrawn after protests.
NGO had written a letter
Manish Jain of West Bengal National Crime Investigation Bureau (NGO) had written a letter to the National Human Rights Commission on January 2 regarding this matter. The Human Rights Commission has taken cognizance of this.
Issuing a notice to the Jalore Collector, it has been stated that women in Jalore district of Rajasthan have been instructed to carry only simple keypad mobile phones at public events, neighbors' homes, or social gatherings. This restriction has been applied only to women, which indicates gender-based discrimination.
Written in the letter - Social groups do not have these rights
Furthermore, Panchayats or social groups have no right to control women's communication or use of technology. Such steps can further limit girls' education or freedom of movement. The allegations made in the complaint prima facie appear to be a violation of the victims' human rights.
Priyank Kanungo, member of the National Human Rights Commission, taking cognizance, has issued a notice to the District Magistrate, Jalore. It states - the allegations made in the complaint should be investigated and an action taken report should be submitted for the commission's review within two weeks. It also instructed that an action taken report should be sent to the commission within two weeks from the date of receipt of this letter.

Source: https://www.hindustantimes.com/india-news/collision-averted-in-up-experts-say-disregard-for-rules-to-maintain-train-punctuality-risks-lives-101767619620275.html

Collision averted in UP: Experts say disregard for rules to maintain train punctuality risks lives
Published on: Jan 05, 2026 6:56 PM IST
PTI
New Delhi, A recent incident in which a collision was averted between a passenger train and a freight train, both moving on the same track towards each other near the Khurja City station in Uttar Pradesh, has exposed a complete disregard for basic safety norms by railway staff in an attempt to maintain train punctuality, according to experts.
Collision averted in UP: Experts say disregard for rules to maintain train punctuality risks lives
The incident occurred on December 29, 2025, and on January 2, the railway ministry transferred the divisional railway manager of the Moradabad division, under which the Khurja City station falls, while the staff involved in the incident were sent for training after a brief period of suspension.
Experts said the incident highlighted a disregard for rules, poor record-keeping and inadequate shift handover procedures between station masters, leading to a critically-unsafe situation for train operations.
The incident took place around 8 pm on December 29, when Rinku Tomar, the on-duty station master at Khurja City, allowed a freight train coming from Khurja Junction to enter his section.
As there is a single line between the two stations, only one train can be allowed to operate at a time. While the freight train was on its way to Khurja City, Tomar's shift ended and the station master who relieved him, Ranveer Singh, was not aware that a train was approaching the station.
Meanwhile, a passenger train was waiting at the Khurja City station to depart towards Khurja Junction.
"As it is a single-line section, if the line is occupied by a train, the signal will remain red so that another train cannot enter from the Khurja City station towards Khurja Junction," an official said.
Singh thought the signal was not working and asked a signal maintainer to manually change it from red to green so that the passenger train could depart without any delay.
According to a preliminary probe report, both loco pilots stopped their trains at a safe distance of 433 metres from each other, thereby avoiding a collision. The report held both the station masters and the signal maintainer responsible for the incident.
Officials said rules do not allow the first station master, Tomar, to be relieved of duty until all trains he has allowed to enter the section have arrived, even if his duty hours are over.
Besides, they said he was supposed to make an entry in the Train Signal Register , which serves as a handover record for the incoming station master.
"The second station master, who took over the shift, also failed to exercise due diligence and did not attempt to verify whether the line was occupied. He asked the signal maintainer to set the signal to green, without completing the required formalities. Even the signal maintainer failed to ask for a failure memo before changing the signal," another official said.
"The unsafe situation occurred primarily because the prescribed safety guidelines and operational rules were not followed," he added.
Safety experts and former station masters said the lapse exposed multiple shortcomings, including the pressure to maintain the punctuality of passenger trains, leading to short-cut measures, and rising vacancies that keep the safety staff under constant pressure.
"The second station master, Singh, stated in his written submission that he was on leave as his son was unwell.

However, he was called at 10:30 am on December 29 and asked to report to duty at 7 pm. This shows how station masters are forced to cut short their leave, not attend urgent family matters and other important personal commitments to join duty," said Virendra Kumar Paliwal, a retired station master who has raised concerns about staff vacancies and work stress in the railways with the National Human Rights Commission .

"The number of vacant posts of station masters is increasing because the Railway Board's recruitment process is very slow. If a station master is under stress due to personal reasons, lapses are bound to occur," he added.

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/arjun-munda-ne-ajit-mahto-ki-police-hirasat-mein-maut-par-nhrc-ko-patra-likha-swatantra-janch-ki-maang-1235291

अर्जुन मुंडा ने अजीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत पर एनएचआरसी को लिखा पत्र, स्वतंत्र जांच की मांग

5 Jan 2026 7:32 PM

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अजीत महतो की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की है।

रांची, 5 जनवरी (आईएएनएस)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अजीत महतो की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि मानगो के गोकुल नगर बस्ती निवासी अजीत महतो की 30 दिसंबर 2025 को पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई, जो प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है। अर्जुन मुंडा ने इसे स्थापित मानवाधिकार मानकों के खिलाफ बताया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के केवल अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) का मामला दर्ज किया गया और मृतक के परिजनों से सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराकर दो लाख रुपये की राशि दे दी गई, जबकि इस मुआवजे का कोई स्पष्ट वैधानिक आधार या प्रक्रिया नहीं बताई गई। इससे पूरे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद लगभग दो दिनों तक परिजनों को अजीत महतो से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे पुलिस यातना के कारण मौत की आशंका जताई गई है। इसी अवधि में मृतक की गर्भवती पत्नी ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया। अजीत महतो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, और उनकी मृत्यु के बाद परिवार गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है।

अर्जुन मुंडा ने कहा कि पुलिस हिरासत में किसी नागरिक की मृत्यु अपने आप में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, जिसकी जांच स्वतंत्र, उच्चस्तरीय और न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए।

उन्होंने एनएचआरसी से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने, दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी व विभागीय कार्रवाई करने तथा मृतक के परिजनों को न्यायोचित मुआवजा, पुनर्वास और आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

Source: https://thefollowup.in/jharkhand/news/arjun-munda-seeks-nhrc-probe-into-custodial-death-in-jamshedpur-71954.html

पुलिस हिरासत में मौत का मामला : पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने मानवाधिकार आयोग से की न्यायिक जांच की मांग

BY Zeb Akhtar Jan 05, 2026

रांची

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में पुलिस अभिरक्षा में हुई अजीत महतो की मौत को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि 30 दिसंबर 2025 को गोकुल नगर बस्ती निवासी अजीत महतो की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी स्वतंत्र जांच के सिर्फ अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर परिजनों से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए और दो लाख रुपये की राशि दे दी गई, जिसकी वैधानिक प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद लगभग दो दिनों तक परिजनों को अजीत महतो से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे पुलिस यातना की आशंका और गहरी होती है। इसी दौरान मृतक की गर्भवती पत्नी ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। अजीत महतो परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, ऐसे में पूरा परिवार गहरे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है।

अर्जुन मुंडा ने आयोग से मांग की है कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक के परिजनों को सम्मानजनक मुआवजा, पुनर्वास और आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस संवेदनशील मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा।

Lagatar, Online News, 06/01/2026

Source: https://lagatar.in/jamshedpur-arjun-munda-demands-judicial-inquiry-into-the-death-of-ajit-mahto

जमशेदपुर : अजीत महतो के मौत प्रकरण पर अर्जुन मुंडा ने की न्यायिक जांच की मांग
By Ravi Bharti
Jan 05, 2026 05:09 PM
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा- मानवाधिकार का हुआ उल्लंघन
Ranchi : पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने पुलिस की पिटाई से हुई अजित महतो की मौत को लेकर न्यायिक जांक की मांग की है. इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है.
पत्र में कहा है कि जमशेदपुर के मानगो, गोकुल नगर बस्ती निवासी अजीत महतो की 30 दिसंबर 2025 को पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु हो गई. यह घटना प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन एवं गरिमा के अधिकार तथा स्थापित मानवाधिकार मानकों के गंभीर उल्लंघन का विषय प्रतीत होती है.
यह घटना अत्यंत चिंताजनक
पत्र में आगे लिखा है कि यह घटना अत्यंत चिंताजनक है. बिना किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के, मात्र एक अप्राकृतिक मृत्यु प्रकरण दर्ज कर मृतक के परिजनों को सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर 200000 रुपए की राशि थमा दी गई. जिसके वैधानिक आधार एवं प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया. इससे प्रकरण की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है.
गिरफ्तारी के बाद परिजनों को नहीं मिलने दिया
यह भी तथ्य है कि गिरफ्तारी के पश्चात लगभग दो दिनों तक परिजनों को मृतक से मिलने की अनुमति नहीं दी गई एवं जिससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस यातना से ही इनकी मृत्यु हुई है. इसी अवधि में मृतक की गर्भवती पत्नी ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया.
अजीत महतो अपने परिवार के एकमात्र आजीविका अर्जक थे. परिणामस्वरूप एक परिवार गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक संकट में आ गया है. पुलिस अभिरक्षा में किसी नागरिक की मृत्यु स्वयं में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, जिसकी जांच स्वतंत्र, उच्चस्तरीय एवं न्यायिक प्रकृति की होनी अनिवार्य है.
अर्जुन मुंडा ने क्या की है मांग

- इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वतंत्र एवं न्यायिक जांच सुनिश्चित की जाए.
- दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विधिक एवं

विभागीय कार्रवाई की जाए.

- मृतक के परिजनों को न्यायोचित एवं सम्मानजनक मुआवजा, पुनर्वास एवं आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए.

Source: https://hindupost.in/society-culture/kashmiri-pandits-deserve-attention-resolution-of-their-problems-expediting-solutions/

Kashmiri Pandits deserve attention, resolution of their problems & expediting solutions
January 5, 2026
Ashwani Kumar Chrungoo
The year 2025 was a year of struggle and achievements. The whole nation went through a number of tests and in many areas we, the people of India, proved our worth beyond our intrinsic value. The displaced community of the Kashmiri Pandits also went through a lot of struggle at many levels the past year. Most of the fronts included the issues related to their struggle for survival. Ever since their displacement in 1989-90 and thereafter, they are confronting different situations day in and day out which need urgent attention, resolution of the issues connected with their day-to-day survival and also expediting solutions of their problems.

The community that faced genocide and ethnic cleansing followed by their forced mass exodus in Kashmir were practically thrown on streets in 1989-90 period. Their refugee-life in their own country was full of pain and an uncertain future. However, the community's three generations fought their battles together for survival and despite their colossal loss, they built a new life out of virtually nothing. The biggest sacrifice they made was to maintain a life decorum by imparting education to their wards in the most difficult times in the current context.

Refugee-life which included living in camps and rented accomodations at new places outside Kashmir valley was entirely a new experiment that everyone among the community had to undergo. The governments of the day took certain measures to bring a symbol of succor to the displaced population as a consequence of innumerable agitations, strikes, meetings, appeals and sit-in-protests by the community continuously during the last more than three decades.

The National Human Rights Commission (NHRC) in the case of genocide and human rights violations against the displaced community filed by this author in March 1994 in its decision in the Commissions's court in June 1999 said that the 'Community of Kashmiri Pandits was not given the due understanding and relief that they deserved'. It also said that 'the Commission is constrained to say that the acts akin to genocide were committted against the Kashmiri Pandits in the valley and.....a genocide type design may exist in the minds and utterances of the militants and terrorists against the Kashmiri Pandit community'. The governments and the administration failed to do what they were supposed to do for the victims of genocide in Kashmir even after their displacement from Kashmir.

The responsibility for their genocide rests with the Islamic fundamentalist and terrorist forces sponsored by Pakistan in Kashmir along with the cunning politicians who worked hands in glove with the radical elements in the valley to execute ethnic cleansing. The J&K government led by Farooq Abdullah connived with the conspirators to implement their planning of forced mass-exodus from Kashmir. Equally responsible is the government of India for its failure to take effective measures to stop the unfortunate happenings against the miniscule minority community in Kashmir for decades despite getting all intelligence and official reports about the same.

The Muslim majority community holds collective responsibility for its failure to protect the minorities -the indigenous population of the valley, the Kashmiri Pandits. Unfortunately, some of them joined the chorus for "raliv-chaliv-galiv" (get converted-flee-get killed) while others sat silent to see the eventual 'Nazame-Mustafa' replacing the rule of law and the constitution. Then there were also people who showed the road of exodus to the

Pandit community and even provided all the logistics to make the mass-exodus a stark reality. This all happened for which it was falsely claimed by the dubious media and the so-called intellectuals and the compromised politicians that 'the Pandits were encouraged by Governor Jagmohan to migrate outside the valley under his plan'. The world also kept silent when it was asked to speak, probably considering the Pandits the sons and daughters of "lesser god".

Their jobs in the government and in the private sector in the valley were taken away by making appointments in their place simply by an order of the conniving government which was headed by V.P.Singh, the then Prime Minister and guided by Mufti Sayeed -the Home Minister. Their homes were looted and burnt in thousands, hundreds of their places of worship were also razed to the ground in their absence. While thousands of their houses were usurped without their consent, thousands were manipulated to be purchased under 'distress sale'. All routes and causes for the return of the community to the Kashmir valley were mercilessly blocked with the help of the administration and the other political circles aiming for their "azadi".

The displaced community kept fighting for every single right while in exile. Their fight for their existential issues is a story different from their fight for day-to-day survival. At every level, they had to face the apathy of the politicians and the government with the limbs of the administration doing what their bosses would dictate them to do. Inspite of all these negative developments, some positive developments also took place which kept hopes alive at the grassroot level. There were, however, always some sincere elements who would try to do whatever they could being a part of the government and the administration.

The monthly relief to those who were not gainfully employed in the government or semi-government institutions brought some semblance of minimum support to the ruined families after a great struggle by the community. The last enhancement in the monthly relief was made effective in 2016-17. It is now almost a full decade that there is no enhancement in the quantum of the monthly relief. Prime Minister Narendra Modi himself made an announcement in this connection to raise the amount of relief to the displaced relief holders in the year 2024 during the election campaigning. But nothing of the sort has been done yet despite a lapse of more than a year. It is a consistent demand that has remained unfulfilled till date. Now the issue has been raised at the level of the MHA and all eyes are focussed on them in this regard.

There were a number of issues about streamlining the Adhoc Monthly Relief (AMR) to the registered relief holders in the Delhi state. The BJP government in Delhi took some important steps in this regard and after the cabinet approval, the file is in the MHA for approval. There was a struggle going on in this context in Delhi for the last almost two years. The AAP government didn't take any decision on the issue during their tenure. It is hoped that the MHA gives its approval for streamlining the whole process on the pattern of the J&K government.

After a lot of struggle at the political and administrative levels, the bifurcated ration-card holders otherwise eligible for monthly relief who weren't categorized in the relief category by the Relief department at Jammu for a long period (without a valid reason) are now eligible for the monthly relief. An order dated 8 December 2025 bearing no. 288 has been issued by the Relief Commissioner's office in this connection. The Relief Commissioner's office is expected to expedite the solutions now in the cases that come up for review. Delays in the solutions of pending issues many a time become part of the processes in the Relief department which the current dispensation in the nodal office is expected to do away with. The delays give a lot of trouble to the people concerned and they form a negative opinion about the situation besides adding further distress to the people involved.

There are various issues that have been covered under the Citizens Charter which specify the time period in which the processes should be completed. The Citizens Charter needs to be brought to the notice of the staff of the department in particular and it should also be displayed at prominent places within the office complexes of the department. An in-depth study, research and work-out formula was done in this connection some six years ago and it should be given a holistic response by all the concerned. The primary victims of terrorism in the state irrespective of their region need all possible attention and care by the authorities in the government and the administration.

Many elements within the ruling dispensations over the last more than three decades took some important

decisions that brought considerable relief to the victims of genocide in and outside the Kashmir valley. However, indecisions at various levels caused/cause heavy anguish and agony besides the pain among the victims. Their hopes always keep them alive in context of their issues that they raise from time to time. In the field of education, employment and other key areas like medical assistance etc some positive decisions have surely been taken but they seem insufficient keeping in view the gravity of the problem. The suffering of camp dwellers especially in Jagti township, their basic needs and human-life facilities and security are always a cause of concern. Health issues, dependence on monthly relief assistance and conditions of quarters are also a cause of concern for everyone concerned with the issue.

Matters related to Ayushman Card, linkage of ration cards with the NFSA formalities and the facilities under various government welfare schemes need to be taken to the logical conclusion by the authorities concerned and particularly by the Relief department. The Revenue Ministry, DMRRR department and the Relief Commissioner's office have done some remarkable work over these years particularly after the adoption of the minutes of the meeting presided over by the then Revenue Minister in the year 2017. The usual administrative rigmarole in context of the implementation and interpretation of the government orders is a very serious issue and these orders need to be executed without causing injury to the doctrine of 'natural justice'. Burning issues pertaining to the PM's Package employees (virtual captives) are surely disturbing.

In view of what has been said above, it is hoped that the concerned authorities in the government and the administration will arise and awaken and make the necessary amends wherever applicable as the displaced community of Kashmiri Pandits is commemorating its 37th Holocaust Day this year on coming 19th January.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

The Week, Online News, 06/01/2026

Source: https://www.theweek.in/wire-updates/national/2026/01/05/collision-averted-in-up-experts-say-disregard-for-rules-to-maintain-train-punctuality-risks-lives.amp.html

Collision averted in UP Experts say disregard for rules to maintain train punctuality risks lives

PTI Updated: January 05, 2026 19:02 IST

New Delhi, Jan 5 (PTI) A recent incident in which a collision was averted between a passenger train and a freight train, both moving on the same track towards each other near the Khurja City station in Uttar Pradesh, has exposed a complete disregard for basic safety norms by railway staff in an attempt to maintain train punctuality, according to experts.

The incident occurred on December 29, 2025, and on January 2, the railway ministry transferred the divisional railway manager of the Moradabad division, under which the Khurja City station falls, while the staff involved in the incident were sent for training after a brief period of suspension.

Experts said the incident highlighted a disregard for rules, poor record-keeping and inadequate shift handover procedures between station masters, leading to a critically-unsafe situation for train operations.

The incident took place around 8 pm on December 29, when Rinku Tomar, the on-duty station master at Khurja City, allowed a freight train coming from Khurja Junction to enter his section.

As there is a single line between the two stations, only one train can be allowed to operate at a time. While the freight train was on its way to Khurja City, Tomar's shift ended and the station master who relieved him, Ranveer Singh, was not aware that a train was approaching the station.

Meanwhile, a passenger train was waiting at the Khurja City station to depart towards Khurja Junction.

"As it is a single-line section, if the line is occupied by a train, the signal will remain red so that another train cannot enter from the Khurja City station towards Khurja Junction," an official said.

Singh thought the signal was not working and asked a signal maintainer to manually change it from red to green so that the passenger train could depart without any delay.

According to a preliminary probe report, both loco pilots stopped their trains at a safe distance of 433 metres from each other, thereby avoiding a collision. The report held both the station masters and the signal maintainer responsible for the incident.

Officials said rules do not allow the first station master, Tomar, to be relieved of duty until all trains he has allowed to enter the section have arrived, even if his duty hours are over.

Besides, they said he was supposed to make an entry in the Train Signal Register (TSR), which serves as a handover record for the incoming station master.

"The second station master, who took over the shift, also failed to exercise due diligence and did not attempt to verify whether the line was occupied. He asked the signal maintainer to set the signal to green, without completing the required formalities. Even the signal maintainer failed to ask for a failure memo before changing the signal," another official said.

"The unsafe situation occurred primarily because the prescribed safety guidelines and operational rules were not followed," he added.

Safety experts and former station masters said the lapse exposed multiple shortcomings, including the pressure to maintain the punctuality of passenger trains, leading to short-cut measures, and rising vacancies that keep the safety staff under constant pressure.

"The second station master, Singh, stated in his written submission that he was on leave as his son was unwell. However, he was called at 10:30 am on December 29 and asked to report to duty at 7 pm. This shows how station masters are forced to cut short their leave, not attend urgent family matters and other important personal

commitments to join duty," said Virendra Kumar Paliwal, a retired station master who has raised concerns about staff vacancies and work stress in the railways with the National Human Rights Commission (NHRC).

"The number of vacant posts of station masters is increasing because the Railway Board's recruitment process is very slow. If a station master is under stress due to personal reasons, lapses are bound to occur," he added.

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

Source: https://www.theweek.in/wire-updates/national/2026/01/05/collision-averted-in-up-experts-say-disregard-for-rules-to-maintain-train-punctuality-risks-lives.amp.html

Collision averted in UP Experts say disregard for rules to maintain train punctuality risks lives
PTI Updated: January 05, 2026 19:02 IST

New Delhi, Jan 5 (PTI) A recent incident in which a collision was averted between a passenger train and a freight train, both moving on the same track towards each other near the Khurja City station in Uttar Pradesh, has exposed a complete disregard for basic safety norms by railway staff in an attempt to maintain train punctuality, according to experts.

The incident occurred on December 29, 2025, and on January 2, the railway ministry transferred the divisional railway manager of the Moradabad division, under which the Khurja City station falls, while the staff involved in the incident were sent for training after a brief period of suspension.

Experts said the incident highlighted a disregard for rules, poor record-keeping and inadequate shift handover procedures between station masters, leading to a critically-unsafe situation for train operations.

The incident took place around 8 pm on December 29, when Rinku Tomar, the on-duty station master at Khurja City, allowed a freight train coming from Khurja Junction to enter his section.

As there is a single line between the two stations, only one train can be allowed to operate at a time. While the freight train was on its way to Khurja City, Tomar's shift ended and the station master who relieved him, Ranveer Singh, was not aware that a train was approaching the station.

Meanwhile, a passenger train was waiting at the Khurja City station to depart towards Khurja Junction.

"As it is a single-line section, if the line is occupied by a train, the signal will remain red so that another train cannot enter from the Khurja City station towards Khurja Junction," an official said.

Singh thought the signal was not working and asked a signal maintainer to manually change it from red to green so that the passenger train could depart without any delay.

According to a preliminary probe report, both loco pilots stopped their trains at a safe distance of 433 metres from each other, thereby avoiding a collision. The report held both the station masters and the signal maintainer responsible for the incident.

Officials said rules do not allow the first station master, Tomar, to be relieved of duty until all trains he has allowed to enter the section have arrived, even if his duty hours are over.

Besides, they said he was supposed to make an entry in the Train Signal Register (TSR), which serves as a handover record for the incoming station master.

"The second station master, who took over the shift, also failed to exercise due diligence and did not attempt to verify whether the line was occupied. He asked the signal maintainer to set the signal to green, without completing the required formalities. Even the signal maintainer failed to ask for a failure memo before changing the signal," another official said.

"The unsafe situation occurred primarily because the prescribed safety guidelines and operational rules were not followed," he added.

Safety experts and former station masters said the lapse exposed multiple shortcomings, including the pressure to maintain the punctuality of passenger trains, leading to short-cut measures, and rising vacancies that keep the safety staff under constant pressure.

"The second station master, Singh, stated in his written submission that he was on leave as his son was unwell. However, he was called at 10:30 am on December 29 and asked to report to duty at 7 pm. This shows how station

masters are forced to cut short their leave, not attend urgent family matters and other important personal commitments to join duty," said Virendra Kumar Paliwal, a retired station master who has raised concerns about staff vacancies and work stress in the railways with the National Human Rights Commission (NHRC).

"The number of vacant posts of station masters is increasing because the Railway Board's recruitment process is very slow. If a station master is under stress due to personal reasons, lapses are bound to occur," he added.

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

Amar Ujala, Online News, 06/01/2026

Source: https://www.amarujala.com/rajasthan/jalore/rajasthan-news-rights-panel-cracks-down-on-ban-on-women-s-smartphone-use-issues-notice-to-district-collector-2026-01-05

Rajasthan News: महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर बैन मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त, कलेक्टर को भेजा नोटिस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर Published by: जालौर ब्यूरो Updated Mon, 05 Jan 2026 09:00 PM IST

सार
जालौर
जिले में महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर पंचायत स्तर पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीर रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टर प्रदीप के. गावंडे को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 14 दिनों के भीतर पूरे प्रकरण की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

विस्तार
हाल ही में चौधरी समाज की एक बैठक में कथित रूप से महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर पाबंदी लगाने के मामले ने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर हलचल मचा दी है। यह बैठक 21 दिसंबर को सुंधामाता पट्टी के गाजीपुरा गांव में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने की थी। बैठक में 14 पट्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि 15 गांवों की बहू-बेटियां स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगी और केवल साधारण कीपैड फोन ही रख सकेंगी, साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों या पड़ोस में जाने के दौरान स्मार्टफोन ले जाने पर भी रोक लगाई गई थी।

इस फैसले के सामने आते ही सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण और दकियानूसी करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। विरोध बढ़ने के बाद समाज के पदाधिकारियों ने सफाई दी कि यह निर्णय बच्चों की भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया था और बाद में इसे वापस ले लिया गया।

हालांकि इस बीच पश्चिम बंगाल के नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के मनीष जैन ने 2 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मामले का संज्ञान लेते हुए जालौर जिला प्रशासन से जवाब-तलब किया। मामले में जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे को आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिसमें 14 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

मानवाधिकार आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि किसी भी पंचायत या सामाजिक समूह को महिलाओं के संचार के साधनों पर रोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और तकनीक तक पहुंच महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ा अहम विषय है। जिला कलेक्टर प्रदीप के. गावंडे ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गहन जांच कर आयोग को समयबद्ध रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस प्रकरण के बाद पूरे जिले में चर्चा का माहौल है और सभी की निगाहें अब प्रशासन की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

Source: https://www.deshbandhu.co.in/jharkhand/arjun-munda-has-written-to-the-nhrc-demanding-an-independent-inquiry-into-the-death-in-police-custody-282781

अर्जुन मुंडा ने एनएचआरसी को लिखा पत्र, पुलिस हिरासत मौत पर स्वतंत्र जांच की मांग

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अजीत महतो की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखा है

By - एजेंसी 5 Jan 2026 10:40 PM

जमशेदपुर में अजीत महतो की मौत, मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप परिजनों से जबरन हस्ताक्षर और मुआवजे पर उठे सवाल गर्भवती पत्नी ने दिया जन्म, परिवार पर टूटा आर्थिक-सामाजिक संकट मुंडा बोले– हिरासत में मौत गंभीर उल्लंघन, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अजीत महतो की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि मानगो के गोकुल नगर बस्ती निवासी अजीत महतो की 30 दिसंबर 2025 को पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई, जो प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है। अर्जुन मुंडा ने इसे स्थापित मानवाधिकार मानकों के खिलाफ बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के केवल अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) का मामला दर्ज किया गया और मृतक के परिजनों से सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराकर दो लाख रुपये की राशि दे दी गई, जबकि इस मुआवजे का कोई स्पष्ट वैधानिक आधार या प्रक्रिया नहीं बताई गई। इससे पूरे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद लगभग दो दिनों तक परिजनों को अजीत महतो से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे पुलिस यातना के कारण मौत की आशंका जताई गई है। इसी अवधि में मृतक की गर्भवती पत्नी ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया। अजीत महतो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, और उनकी मृत्यु के बाद परिवार गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पुलिस हिरासत में किसी नागरिक की मृत्यु अपने आप में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, जिसकी जांच स्वतंत्र, उच्चस्तरीय और न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए। उन्होंने एनएचआरसी से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने, दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी व विभागीय कार्रवाई करने तथा मृतक के परिजनों को न्यायोचित मुआवजा, पुनर्वास और आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

Source: https://n7india.com/news/jharkhand/2026/01/05/former-jharkhand-chief-minister-arjun-munda-has-written-to-the-national-human-rights-commission-nhrc-regarding-the-death-of-ajit-mahto-in-police-custody-in-the-mango-area-of-jamshe/

Jharkhand News : Arjun Munda ने अजीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत पर NHRC को लिखा पत्र, स्वतंत्र जांच की मांग
N7india
Published 5 जनवरी 2026
Last updated: 2026/01/05 at 8:07 अपरा ह्न

Ranchi : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में अजीत महतो की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि मानगो के गोकुल नगर बस्ती निवासी अजीत महतो की 30 दिसंबर 2025 को पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई, जो प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है। अर्जुन मुंडा ने इसे स्थापित मानवाधिकार मानकों के खिलाफ बताया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के केवल अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) का मामला दर्ज किया गया और मृतक के परिजनों से सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराकर दो लाख रुपये की राशि दे दी गई, जबकि इस मुआवजे का कोई स्पष्ट वैधानिक आधार या प्रक्रिया नहीं बताई गई। इससे पूरे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद लगभग दो दिनों तक परिजनों को अजीत महतो से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे पुलिस यातना के कारण मौत की आशंका जताई गई है। इसी अवधि में मृतक की गर्भवती पत्नी ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया। अजीत महतो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, और उनकी मृत्यु के बाद परिवार गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है।

अर्जुन मुंडा ने कहा कि पुलिस हिरासत में किसी नागरिक की मृत्यु अपने आप में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, जिसकी जांच स्वतंत्र, उच्चस्तरीय और न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए।

उन्होंने एनएचआरसी से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने, दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी व विभागीय कार्रवाई करने तथा मृतक के परिजनों को न्यायोचित मुआवजा, पुनर्वास और आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। (IANS)

Source: https://rajasthan.ndtv.in/rajasthan-news/nhrc-notice-to-administration-over-smartphone-uses-for-women-in-jalore-10355736

'महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक' पंचायत के तुगलकी फरमान पर NHRC ने प्रशासन को किया तलब
सुंदर पट्टी चौधरी समाज पंचायत में महिलाएं और बेटियों के कैमरे वाले स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंध लगा लगाया गया था. जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ. अब मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन को तलब किया है.
Reported by: भरत राजपुरोहित
Edited by: श्यामजी तिवारी
राजस्थान न्यूज़
जनवरी 05, 2026 23:08 pm IST
Published On जनवरी 05, 2026 23:08 pm IST
Last Updated On जनवरी 05, 2026 23:08 pm IST

'महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक' पंचायत के तुगलकी फरमान पर NHRC ने प्रशासन को किया तलब
पंचायत के तुगलकी फरमान पर NHRC ने प्रशासन को किया तलब

Rajasthan News: राजस्थान के जालौर में 15 गांवों की महिलाओं पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर लगाए गए कथित प्रतिबंध मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है. NHRC ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए जालौर कलेक्टर को नोटिस जारी करके तलब किया है. वहीं, मानवाधिकार के नोटिस को लेकर कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी महिला पर किसी प्रकार का सामाजिक या पंचायत स्तर का दबाव लागू नहीं है.

समाज की पंचायत ने सुनाया था फैसला
महिलाओं के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का मामला भीनमाल उपखंड क्षेत्र की सुंदर पट्टी चौधरी समाज पंचायत से जुड़ा हुआ है. पंचायत में कथित रूप से निर्णय लिया गया था कि महिलाएं और बेटियां कैमरे वाले स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगी. इस फैसले को लेकर क्षेत्र में काफी विवाद और चर्चा हुई थी. इस मामले की मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी गई थी, जिसमें महिलाओं के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया गया था.

शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए जालौर जिला प्रशासन से जवाब तलब किया. इस बारे में जालौर कलेक्टर डॉ. प्रदीप गावंडे ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि चौधरी समाज के पंचों द्वारा लिया गया निर्णय बाद में वापस ले लिया गया है. इस संबंध में मानवाधिकार आयोग से प्राप्त नोटिस का समय पर जवाब भेज दिया गया है.

प्रशासन के दखल के बाद पंचों ने वापस लिया निर्णय
जब चौधरी समाज की पंचायत द्वारा महिलाएं और बहन-बेटियां के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का मामला सामने आया तो जालौर जिला प्रशासन और चौधरी समाज दोनों सुर्खियों में बना रहा. इस निर्णय को लेकर कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया. मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप और जिला प्रशासन की सक्रियता के बाद समाज के पंचों ने अपने पूर्व निर्णय को वापस ले लिया, जिससे फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई भी पंचायत या सामाजिक समूह महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों, तकनीक के उपयोग या आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है. जिला प्रशासन ने संकेत दिए कि भविष्य में इस तरह के किसी भी फैसले की पुनरावृत्ति होती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Source: https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/jalore/rajasthan-news-nhrc-started-investigation-jalore-panchayat-smartphone-ban-descision/1767631318981

जालौर स्मार्टफोन बेन मामले में नया अपडेट आया सामने, पंचायत के फैसले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू की जांच
Rajasthan News: जालौर के गजीपुरा गांव में महिलाओं पर स्मार्टफोन प्रतिबंध के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने जिला कलक्टर को नोटिस जारी कर 14 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है. पंचायत ने विरोध के बाद फैसला वापस ले लिया था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Heeralal bhati
Published: Jan 05, 2026, 10:14 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 10:14 PM IST
Trending Photos

राजस्थान में कोहरे से नहीं दिख रहा कुछ, कई जिलों के डेढ़ दर्जन स्कूलों में छुट्टियां, जीरो विजिबिलिटी के बाद शीतलहर का अलर्ट

जालौर स्मार्टफोन बेन मामले में नया अपडेट आया सामने, पंचायत के फैसले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू की जांच
Jalore Smartphone Ban News: राजस्थान के जालौर जिले के जसवंतपुरा उपखंड के गजीपुरा गांव में सामाजिक पंचायत द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है. आयोग ने इस मामले को लेकर जालोर जिला कलक्टर को नोटिस जारी किया है और पूरे प्रकरण की जांच कर 14 दिनों के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि महिलाओं पर इस तरह की पाबंदी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सामाजिक पंचायत या समुदाय को महिलाओं के संचार के साधनों या आधुनिक तकनीक के उपयोग पर रोक लगाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है. इस प्रकार का फैसला महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चोट करता है और उनकी शिक्षा, अभिव्यक्ति व सामाजिक सहभागिता को भी प्रभावित कर सकता है.

इस तरह चर्चा में आया मामला
यह विवाद 21 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब जालोर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र स्थित गजीपुरा गांव में चौधरी समाज की एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में समाज की 14 पट्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 15 गांवों की बहू-बेटियां स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगी.

पंचायत के फैसले के तहत महिलाओं को केवल कीपैड मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए. साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में या किसी पड़ोसी के घर जाते समय स्मार्टफोन साथ ले जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. इस निर्णय को लेकर गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा शुरू हो गई.

पंचायत की ओर से तर्क दिया गया कि स्मार्टफोन के अधिक इस्तेमाल से बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है और इससे सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है. हालांकि यह नियम केवल महिलाओं पर लागू किया गया, जिससे इसे भेदभावपूर्ण माना गया और विरोध तेज हो गया.

दो दिन बाद बदला गया फैसला
मामला तूल पकड़ने के बाद समाज के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी ने सफाई दी कि यह निर्णय बच्चों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया था. लेकिन बढ़ते विरोध और आलोचना के चलते पंचायत ने दो दिन के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया. समाज की ओर से कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी की आज़ादी पर रोक लगाना नहीं था.

आयोग के द्वारा नोटिस जारी होने के बाद जिला कलेक्टर, जालौर प्रदीप के. गवांडे ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गजीपुरा प्रकरण में नोटिस जारी कर दिया है. प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच पहले ही करवाई जा चुकी है. सामाजिक पंचायत ने भी 21 दिसंबर की बैठक के दो दिन बाद ही निर्णय

वापस ले लिया था.

Patrika, Online News, 06/01/2026

Source: https://www.patrika.com/jalore-news/human-rights-commission-issued-notice-to-collector-on-decision-to-ban-smartphones-for-women-and-girls-20233649

महिलाओं-लड़कियों पर स्मार्टफोन पाबंदी का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा, जालोर कलक्टर को नोटिस

जालोर। जसवंतपुरा क्षेत्र के गजीपुरा गांव में सामाजिक पंचायत द्वारा महिलाओं और बेटियों पर स्मार्टफोन उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में जिला कलक्टर जालोर को नोटिस जारी करते हुए प्रकरण की जांच कर 14 दिन के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

नोटिस में आयोग ने कहा है कि महिलाओं पर इस तरह का प्रतिबंध सीधे तौर पर लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पंचायत या सामाजिक समूह को महिलाओं के संचार साधनों या तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कदम न केवल महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन करता है, बल्कि उनकी शिक्षा और आवाजाही की आजादी को भी प्रभावित कर सकता है।

इस तरह सुर्खियों में आया मामला

विवाद की शुरुआत 21 दिसंबर 2025 को हुई, जब जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र के गजीपुरा गांव में चौधरी समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज की 14 पट्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 15 गांवों की बहू-बेटियां स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगी। पंचायत ने निर्देश दिए कि महिलाएं केवल कीपैड वाले मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करेंगी। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों या पड़ोसियों के घर जाते समय स्मार्टफोन ले जाने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी।

इस निर्णय के पीछे तर्क दिया गया कि स्मार्टफोन के अधिक उपयोग से बच्चों की आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। हालांकि यह नियम केवल महिलाओं के लिए लागू किया गया, जिससे विवाद गहरा गया और इसे भेदभावपूर्ण माना गया।

पंचायत ने दो दिन बाद लिया यू-टर्न

मामला सामने आने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद समाज के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि यह फैसला बच्चों की भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया था। हालांकि विरोध को देखते हुए दो दिन बाद ही यह निर्णय वापस ले लिया गया। समाज की ओर से कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी की स्वतंत्रता का हनन करना नहीं था।

इन्होंने कहा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से गजीपुरा मामले में नोटिस जारी किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच पहले ही करवाई जा चुकी है। सामाजिक पंचायत ने 21 दिसंबर की घटना के दो दिन बाद ही अपना फैसला वापस ले लिया था। एसडीएम जसवंतपुरा द्वारा पूर्व में जांच की जा चुकी है।

- प्रदीप के. गवांडे, जिला कलक्टर, जालोर

Dainik Bhaskar, Online News, 06/01/2026

Source: https://www.bhaskar.com/amp/local/rajasthan/jalore/news/jalore-district-collector-summoned-by-human-rights-commission-136864464.html

राजस्थान में पंचों के मनमाने फैसले पर कलेक्टर को नोटिस:मानवाधिकार आयोग बोला- स्मार्टफोन यूज बैन सिर्फ महिलाओं पर, ये लैंगिक भेदभाव, 14 दिन में रिपोर्ट भेजें

जालोर 7 घंटे पहले

जालोर में पंचों ने 15 गांव की बहू-बेटियों के स्मार्टफोन यूज को लेकर बैन लगाया था। इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर प्रदीप गावंडे के नाम नोटिस जारी किया हैं। इसमें 14 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

नोटिस में कहा गया है कि ये प्रतिबंध केवल महिलाओं पर है, ऐसे में यह लिंग आधारित भेदभाव को दर्शाता है।

पंचायत या सामाजिक समूहों को महिलाओं के संचार या तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। 2 सप्ताह में मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें।

कलेक्टर प्रदीप के गवांडे ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि पंचों ने अपना फैसला वापस ले लिया है। फिर भी जांच करवा कर जवाब भेजा जाएगा।

21 दिसंबर को आया था आदेश

21 दिसंबर रविवार को जालोर जिले के चौधरी समाज सुंधामाता पट्टी की गाजीपुर गांव में बैठक हुई थी। 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया था।

इसमें 15 गांव की बहू-बेटियों को 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करने पर बैन लगा दिया था।

इतना ही नहीं सार्वजनिक समारोह से लेकर पड़ोसी के घर पर भी फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी थी। उन्हें सिर्फ स्मार्ट फोन की जगह की-पैड फोन उपयोग में लेने का फरमान सुनाया था।

विरोध के बाद वापस भी ले लिया था फैसला

इसके बाद से पंचायत के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया था। विरोध होने पर समाज अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि महिलाओं के पास मोबाइल होने से बच्चे इसका उपयोग करते हैं। इससे आंखें खराब होने का डर रहता है। इसे विरोध के बाद वापस भी ले लिया था।

NGO ने लिखा था लेटर

पश्चिम बंगाल नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एनजीओ) मनीष जैन ने 2 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मामले एक पत्र लिखा था। इस पर मानवाधिकार आयोग संज्ञान लिया है।

जालोर कलेक्टर को एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि राजस्थान के जालोर जिले में महिलाओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों, पड़ोसियों के घरों या सामाजिक आयोजनों में केवल साधारण कीपैड मोबाइल फोन रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रतिबंध केवल महिलाओं पर लागू किया गया है, जो लिंग आधारित भेदभाव को दर्शाता है।

लेटर में लिखा- सामाजिक समूहों को ये अधिकार नहीं

इसके अलावा पंचायतों या सामाजिक समूहों को महिलाओं के संचार या तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार के कदम आगे चलकर लड़कियों की शिक्षा या आवाजाही की स्वतंत्रता को भी सीमित कर सकते हैं। शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट, जालोर को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा- शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई विवरण रिपोर्ट आयोग के अवलोकन लिए प्रस्तुत की जाए। साथ ही निर्देश दिए है कि इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई विवरण रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

Source: https://www.bhaskar.com/amp/local/mp/bhopal/news/illegal-occupation-of-hathaikheda-damcomplaint-lodged-by-the-committee-136866418.html

हथाईखेड़ा डैम पर अवैध कब्जा...समिति ने की शिकायत:अध्यक्ष बोले- पहले जिनका कब्जा था, वही अब कर रहे; वास्तविक को हटाने का षड्यंत्र
भोपाल3 घंटे पहले

भोपाल के हथाईखेड़ा डैम पर अवैध कब्जा, मत्स्याखेट यानी, मछली के पालन और शिकार आदि को लेकर मछली पालन सहकारी समिति इस्लाम नगर हथाईखेड़ा के अध्यक्ष और सदस्य आगे आए हैं। कलेक्टर समेत विभाग से शिकायत कर कहा कि हथाईखेड़ा डैम पर मछली गैंग का कब्जा हो रहा है। वास्तविक मछुआरों व सदस्यों को हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। पहले जिनका कब्जा था, वे अब फिर से कब्जा कर रहे हैं।

डैम पर मछली पकड़ने से पहले रोक, फिर अनुमति और फिर रोक के बीच हुए घटनाक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की भूमिका पर कुछ मछुआरों ने सवाल उठाए हैं। डैम पर मत्स्याखेट करने वाली मछुआरों की समिति के अध्यक्ष मुन्नालाल, सदस्य सत्यनारायण सिलावट, रामस्वरूप ने बताया, उनकी समिति वैध और पंजीकृत है। समिति में सभी 39 सदस्य वंशानुगत मछुआरे हैं और हिंदू है। इनमें से कोई भी पदाधिकारी या सदस्य मुस्लिम नहीं है। न ही समिति में कोई मुस्लिम कर्मचारी हैं।

आयोग सदस्य ने जबर्दस्ती की, कब्जा करवा दिया समिति के संचालक मंडल ने पहले ही अन्नू माझी, नितिन अहिरवार, जगदीश अहिरवार, रंसूकुमार भूरिया, राधेश्याम मालवीय को हटा दिया था, जो आयोग के सदस्य कानूनगो की सहायता से अवैध तरीके से डैम से मछली का शिकार रहे हैं।

अध्यक्ष मुन्नालाल ने बताया कि 27 दिसंबर को कानूनगो व उनके साथियों ने समिति के पदाधिकारी और सदस्यों से अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौच की थी। उन्होंने कहा कि डैम पर हमारा कब्जा हो गया है। ऐसा कहकर समिति के गेट पर लगे ताले भी तोड़ दिए।

अध्यक्ष व सदस्यों ने शिकायत में कहा कि किसी भी मत्स्य समिति के संबंध में कोई जांच करना है तो उसके अधिकार उपायुक्त सहकारिता को ही है। मानव अधिकार आयोग के सदस्य जांच नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में सदस्य ने समिति के ऑफिस से सामग्री निकालकर फेंक दी और दूसरों को कब्जा दे दिया।

कलेक्टर से दखल देने की मांग मछुआरों ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से मामले में दखल देने की मांग की है। कहा कि उनकी जीविका डैम से ही चलती है। यदि अगर जलाशय में हमें काम नहीं करने दिया तो परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। कलेक्टर उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें समिति पर पुन: कब्जा दिलाए।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

ThinQ360, Online News, 06/01/2026

Source: https://thinq360.com/jalore-women-smartphone-ban-nhrc-notice-collector

जालोर स्मार्टफोन बैन पर नोटिस: जालोर में महिलाओं के स्मार्टफोन पर बैन का मामला: मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर को भेजा नोटिस, 14 दिन में मांगी रिपोर्ट

AuthorPosted by गणपत सिंह मांडोली
PublishedJan 5, 202614:08 PM
UpdatedJan 5, 202614:16 PM
Highlights
मानवाधिकार आयोग ने जालोर कलेक्टर को नोटिस जारी किया।
महिलाओं पर स्मार्टफोन बैन को लैंगिक भेदभाव करार दिया।
कलेक्टर को 14 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट भेजने के आदेश।
एनजीओ की शिकायत पर आयोग ने लिया मामले का संज्ञान।
जालोर | राजस्थान के जालोर जिले में पंचों द्वारा महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जालोर के जिला कलेक्टर प्रदीप गावंडे को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में आयोग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं पर इस तरह का प्रतिबंध लगाना सीधे तौर पर लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस पूरे मामले की जांच करें और 14 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि किसी भी पंचायत या सामाजिक समूह को महिलाओं के संचार के साधनों या तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कदम न केवल महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन है बल्कि भविष्य में उनकी शिक्षा और आवाजाही की आजादी को भी प्रभावित कर सकता है। आयोग ने इसे प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है और प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
विवाद की शुरुआत और पंचों का फरमान
यह पूरा विवाद 21 दिसंबर को शुरू हुआ था जब जालोर जिले के चौधरी समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। सुंधामाता पट्टी के गाजीपुर गांव में हुई इस बैठक की अध्यक्षता सुजनाराम चौधरी ने की थी। इस बैठक में चौधरी समाज के 14 पट्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि 15 गांवों की बहू-बेटियां अब स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगी। पंचों के इस फरमान में कहा गया था कि महिलाएं केवल साधारण कीपैड वाले फोन का ही इस्तेमाल कर सकेंगी। इतना ही नहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों या पड़ोसियों के घर जाने पर भी स्मार्टफोन ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया था कि स्मार्टफोन के उपयोग से बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है। हालांकि यह नियम केवल महिलाओं के लिए बनाया गया था जिसने बड़े विवाद को जन्म दिया और इसे भेदभावपूर्ण माना गया।
विरोध के बाद फैसले की वापसी
जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई समाज के भीतर और बाहर इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने इसे दकियानूसी सोच करार दिया। बढ़ते दबाव को देखते हुए समाज के अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने बाद में सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल बच्चों की भलाई के लिए था लेकिन विरोध को देखते हुए इसे वापस ले लिया गया है। समाज का कहना है कि वे किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहते थे।
एनजीओ की शिकायत और आयोग का संज्ञान
इस मामले में पश्चिम बंगाल के नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के मनीष जैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 2 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर इस कुप्रथा की शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है और तकनीक से उन्हें दूर रखा जा रहा है। इसी पत्र के आधार पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मामले का संज्ञान लिया और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
प्रशासनिक कार्रवाई और भविष्य के कदम
जिला कलेक्टर प्रदीप गावंडे ने पुष्टि की है कि उन्हें मानवाधिकार आयोग का नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि हालांकि स्थानीय स्तर पर पंचों ने अपना फैसला वापस लेने की बात कही है लेकिन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस तरह के भेदभावपूर्ण फैसले न लिए जाएं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तकनीक तक पहुंच आज के समय में एक बुनियादी जरूरत है और इसे लिंग के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता।
डिजिटल सशक्तिकरण और संवैधानिक अधिकार

मानवाधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हैं बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति को और पीछे धकेलने का प्रयास है। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां तकनीक सशक्तिकरण और शिक्षा का मुख्य माध्यम है वहां इस तरह की पाबंदियां अनुचित और अवैध हैं। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह ग्रामीण भारत में आज भी मौजूद सामाजिक बेड़ियों को उजागर करता है। अब सबकी नजरें प्रशासन की उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो 14 दिनों के भीतर आयोग को भेजी जानी है।